न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी
नगरी, जिला-धमतरी (छत्तीसगढ़)

प्ररूप—ग
{नियम 3 (2) देखिये}

अनुज्ञा

क्रमांक / 260 /अ.वि.अ. /2025 नगरी, दिनांक 21 / 02 / 2025

प्रति,

श्री रमेश कुमार पिता मोतीलाल जाति तेली
निवासी नगरी तहसील नगरी जिला धमतरी

विषयः— रोपित किए गए वृक्ष की कटाई हेतु अनुज्ञा।

———000———

विषयांतर्गत आपके द्वारा ग्राम चुरियारा प.ह.न. 23 तहसील नगरी जिला धमतरी में भूमिस्वामी हक में दर्ज व स्थित भूमि खसरा नम्बर 974 रकबा 0.17 हे. में स्थित सागौन के 68 नग वृक्ष एवं 975/2 रकबा 1.43 हे. में स्थित सागौन के 133 नग वृक्ष जो रोपित है, जिसे कटाई की अनुज्ञा हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। राजस्व विभाग एवं वनविभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन जारी किया गया। संयुक्त निरीक्षण उपरांत राजस्व निरीक्षक एवं वन विभाग द्वारा मार्किंग बुक सहित जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 24 नवम्बर 2022 अधिसूचना कमांक एफ 4—03/सात—1/2022 में दिये गए प्रावधान के अनुसार आवेदक के आवेदन, अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि अभिलेख में दर्ज अनुसार ग्राम चुरियारा प.ह.न. 23 रा.नि.म. नगरी तहसील नगरी जिला धमतरी स्थित भूमि खसरा नम्बर 974 रकबा 0.17 में स्थित 68 नग वृक्ष जिनकी प्रजाति— **सागौन 68 नग (मार्किंग बुक में स.क. 01 से 68) एवं** खसरा नम्बर 975/2 रकबा 1.43 हे. में स्थित 133 नग वृक्ष जिनकी प्रजाति— **सागौन 133 नग (मार्किंग बुक में स.क. 01 से 133) इस प्रकार कुल 201 सागौन वृक्ष, जो रोपित किए गए वृक्ष है। जिसे कटाई हेतु जांच प्रतिवेदन में चिन्हांकित किया गया है,** को काटे जाने पर संहिता के किन्ही उपबंधो का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः उपरोक्तानुसार कटाई की अनुज्ञा दी जाती है, जो निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा—

1. भूमि के कृषि के रूप में रोपित वृक्षों की कटाई वन विभाग द्वारा की जावेगी।
2. वनमण्डलाधिकारी वृक्षों की कटाई एवं डिपो तक अभिवहन करते हुए निर्धारित दर पर लकड़ी का मूल्य परिगणित करते हुए, कुल मूल्य का 90 प्रतिशत् राशि भूमिस्वामी के बैंक खाते में निक्षेपित करायेंगे। एवं शेष 10 प्रतिशत् राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा की जाएगी। जमा राशि से प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष के 10 गुना की संख्या में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण एवं उनका अनुरक्षण किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुज्ञा शून्य होगी।

यह अनुज्ञा आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

21/2/25

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
नगरी, जिला—धमतरी (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी (रा)
नगरी, (धमतरी) छत्तीसगढ़

अनुविभागीय अधिकारी (रा) नगरी, जिला धमतरी (छत्तीसगढ़)

क्रमांक / 261 /अ.वि.अ. /2025 नगरी, दिनांक 21/02/2025

प्रतिलिपि—

1. कलेक्टर, जिला—धमतरी की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल जिला धमतरी को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
3. उप वनमण्डलाधिकारी, नगरी तहसील नगरी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वन परिक्षेत्र अधिकारी नगरी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार नगरी को वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
नगरी, जिला—धमतरी (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी (रा)
नगरी, (धमतरी) छत्तीसगढ़